दिनांक 24.06.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

यातायात को सुगम बनाने के लिए नंदनी रोड में की गई कार्यवाही, अवैध होर्डिंग्स सहित पालीथीन को भी किया गया जब्त

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम , भिलाई के प्रभारी आयुक्त आर 0के0 साहू के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम भिलाई के राजस्व विभाग , तोड़फोड़ दस्ता एवं उड़नदस्ता की टीम द्वारा पावर हाउस चौक से करुणा हास्पिटल एवं जोन 03 एवं 04 के अंतर्गत संयुक्त रुप से कार्यवाही गई। जोन 03 एवं 04 शिवाजी नगर के अंतर्गत होटल , रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग , एक्सपायर खाद्य एवं पेय पदार्थ रखने वालों पर निगम की उड़नदस्ता टीम कार्यवाही की। जिसमें बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ , नालियों पर कचरा , सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि की जायजा लिया लिया गया तथा 62 प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए 80000 रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही चेतावनी दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने पर नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है। निगम की उड़नदस्ता टीम द्वारा चैरसिया होटल, पाठक सीमेंट, राजेश होटल, इनायत अली, ईश्वर सीमेंट सेन्टर , राज सेल्स का होर्डिंग्स जब्त किया गया एवं नंदनी रोड के दोनो छोर पर सड़क बाधा शुल्क भी काटा गया और बेदखली की कार्यवाही की गई शंकर पेंट , कृष्णानी मेडिकल, जगसन्स इलेक्ट्रिकल्स, न्यू शंकर ग्लास , श्री कृष्णा हार्डवेयर, शंकर इंटरप्राईजेस, चन्द्रदेव पान ठेला, विश्वनाथ मिष्ठान, शंकर टाईल्स, जे.के. ट्रेडर्स, कोसमोस इंटरप्राईजेस, सुनील मेडिकल, रायल इंटरप्राईजेस, देवांगन, चश्मा, राजनाथ गुप्ता, संगम टायर्स, कृष्णा डेलीनीड्स, आर.सी.एस. एण्डसन्स श्री गीता सिंह, श्री आयूष ट्रेडर्स, राज पान पैलेस, प्रकाश चेयर विक्रेता, जयना इलेक्ट्रानिक, पर कार्यवाही की गई। आयुक्त के निर्देश पर उड़नदस्ता की टीम सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में सड़क पर कचरा फैलाने वाले तथा सड़क पर सामान रखकर यातायात बाधित , लायसेंस नहीं रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है।प्रभारी आयुक्त आर 0के0 साहू ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि सभी प्रतिष्ठान लायसेंस अपने दुकान पर ही रखें और यातायात प्रभावित न करें ताकि आप पर होने वाले कार्यवाही से बचा जा सके।

जनसम्पर्क अधिकारी